



Neutral Citation No.- 2026:AHC:12283

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-5854 वर्ष 2025

प्रीत कपासिया

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अभिषेक कुमार शुक्ला, आदर्श शुक्ला, अनुपम श्याम द्विवेदी, बिपिन,

दीप्ति, गौरव पुंडीर, मोहम्मद साकिब, सुधीर दीक्षित

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आज दायर किया गया दूसरा पूरक हलफनामा अभिलेखों पर लिया जाता है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री बिपिन और राज्य विधि अधिकारी श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. आवेदक **मुकदमा अपराध संख्या-** 244 वर्ष 2024, भ०द०वि० की धारा 147, 148, 149, 302, 504, 34 के तहत ज़मानत मांगता है, **थाना-**बिसरख, **ज़िला:** गौतम बुद्ध नगर, मुकदमे के लंबित रहने के दौरान रिहा किये जाने की प्रार्थना की है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसी तरह के सह-आरोपी व्यक्ति, विशाल चौधरी उर्फ अक्की को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 2025 के आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-35479 में पारित दिनांक 06.11.2025 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि आवेदक का मामला सह-अभियुक्त के बराबर है, जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, वह भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

5. अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि आवेदक का कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है, सिवाय इस मामले के बाद उस पर थोपे गए दो मामलों के। आवेदक 10.04.2024 से जेल में बंद है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

6. जमानत के लिए प्रार्थना का राज्य विधि अधिकारी द्वारा पुरजोर विरोध किया गया है। हालांकि, सह-अभियुक्त के साथ समानता के उपरोक्त तथ्यात्मक पहलुओं और आवेदक के पिछले किसी आपराधिक इतिहास के बारे में उसके द्वारा विवाद नहीं किया गया है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, लंबित मुकदमे और इस न्यायालय द्वारा **नन्हा पुत्र नभान खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 क्रि०एल०जे० 938** में पारित निर्णय और पारस राम विश्नोई बनाम निदेशक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में, केंद्रीय जांच ब्यूरो, मनु/SCOR/22410/2021 के साथ-साथ **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2022) 10 एस.सी.सी. 51** के मामले में पारित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में रिपोर्ट किए गए एक अन्य मामले में, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का विचार है कि आवेदक इस मामले में जमानत पर रिहा होने का हकदार है। जमानत आवेदन को समानता के आधार पर **अनुमति** दी जाती है।

8. आवेदक- **प्रीत कपासिया**, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।



- i) आवेदक मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।
- iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत को रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

जनवरी 19, 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)